

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (II)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 194] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 23, 1983/वैशाख 3, 1905
No. 194] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 23, 1983/VAISAKHA 3, 1905

इस भाग में अलग पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(भारतीय चिकित्सा प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 1983

का० प्रा० 330(प्र).—भारत सरकार, भारतीय चिकित्सा, केन्द्रीय परिषद
(निर्वाचन) नियमावली, 1975 के नियम 2 के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों
का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को
5 जनवरी, 1983 की अधिसूचना सं० एस० आ० 5(ई) में एतद्वारा निम्नलिखित
संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना की सारणी में,—

(अ) क्रम सं० 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित
को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

1	2	3
"1.	श्री बी० एस० दिनाकर, निदेशक, भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी, आन्ध्र प्रदेश सरकार हैदराबाद-500001. (ब) क्रम सं० 18 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—	आन्ध्र प्रदेश,"
18.	श्री पी० के० दास गुप्ता, निदेशक, आयुर्वेद, पश्चिम बंगाल सरकार, सी० आई० टी० बिल्डिंग्स, पी० -16, इंडिया एक्सचेंज, कलकत्ता-700001	पश्चिम बंगाल."

[सं० बी०-26018/3/82-निर्वाचन सेल]

एस० के० सुधाकर, संयुक्त सचिव ।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(ISM Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd April, 1983

S.O. 330(E)—In exercise of the powers conferred by clause (d) of rule 2 of the Indian Medicine Central Council (Election) Rules, 1975, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare No. S.O.5(E), dated the 5th January, 1983, namely :—

In the Table appended to the said notification,—

(a) for Sr.No.1 and the entries relating thereto, the following Sr.No and entries shall be substituted, namely :—

1	2	3
"1.	Shri B.S. Dinakar, Director of Indian Medicine & Homoeopathy, Government of Andhra Pradesh, Hyderabad-500 001. (b) for Sr.No.18 and the entries relating thereto, the following Sr.No. and entries shall be substituted, namely :—	Andhra Pradesh;"
"18.	Shri P.K. Das Gupta, Director of Ayurved, Government of West Bengal, C.I.T. Buildings, P-16, India Exchange, Calcutta-700 001.	West Bengal."

[No. V.2/018/3/82-Election Cell]

S. K. SUDHAKAR, Jt. Secy.